

दिनांक 16.12.2024 को जिलाधिकारी महाराजगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्त:-

दिनांक 16.12.2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल-महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, सहायक अभियन्ता व जूनियर इंजीनियर जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, सहायक अभियन्ता (वि०/यौ०) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) गोरखपुर, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थितिक कोया (जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, DPMU के प्रोजेक्ट क्वार्टिनेटर, समस्त ISA आदि उपस्थित रहे।



बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

JMC- LCESPL (JV) (Phase-2)							
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement			
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lo
1	Tube well	349	13.11.2024	338	335	327	303
			16.12.2024	338	336	330	313
2	OHT	343		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%
			13.11.2024	69	45	66	71
3	Pump House	349	16.12.2024	78	46	66	70
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%
4	Boundary wall	348	13.11.2024	15	20	25	29
			16.12.2024	20	12	26	29
5	Pipe Line (Km.)	3277		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%
			13.11.2024	10	12	9	12
6	FHTC	181123	16.12.2024	11	15	10	12
7	Solar	233	13.11.2024	3080			
			16.12.2024	3086 (6 Km.)			
8	FHTC	181123	13.11.2024	171287			
			16.12.2024	171537 (250 Nos.)			
9	Solar	233		Complete	WIP	Not Sta	
			13.11.2024	156	16	61	
10	Solar	233	16.12.2024	158	18	57	

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DGI	Regular Water Supply	Boundary wall
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-50%	50-100%						
JMC-1CESPL (JV)	8	2	6	17	29	20	20	20	20	20	20	100% till month december-24	5000	30	30	50	30

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में 11 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें से 5 परियोजनाओं की भूमि मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद के निस्तारण हेतु रोस्टर बनाते हुये अतिशीघ्र समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें, जिससे निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जा सकें। जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक से वर्तमान बैठक तक 5 स्थलों की भूमि विवाद का निस्तारण कराया जा चुका है परन्तु फर्म द्वारा उक्त कार्यस्थलों पर वर्तमान तक कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है, जिसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये अतिशीघ्र नलकूप निर्माण व अन्य कार्य प्रारम्भ करने एवं वर्तमान तक ड्रिलिंग पूर्ण नलकूपों के कम्प्रेसर, ओ0पी0 यूनिट व पम्प अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

पूर्व बैठक में फर्म को दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष जी0आई0 स्टेजिंग युक्त शिरोपरि जलाशय के आपूर्ति कार्यस्थल पर ना प्राप्त होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी, जिसके क्रम में फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि सामग्री के ग्री-डिलेवरी निरीक्षण कार्य में विलम्ब होने के कारण सामग्री की लक्ष्यों के सापेक्ष 3 शिरोपरि जलाशय के सामग्रियों की आपूर्ति हो पायी है। वर्तमान में 25 शिरोपरि जलाशयों की सामग्री फैक्ट्री से डिस्पैच हो चुकी है व आश्वासन दिया गया कि अगली बैठक से पूर्व समस्त फेब्रिकेटेड शिरोपरि जलाशयों की आपूर्ति कार्यस्थल पर हो जायेगी एवं कार्य अनारम्भ शिरोपरि जलाशय में से 29 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा व 0 से 25 प्रतिशत श्रेणी में से 20 नग शिरोपरि जलाशयों को 25 से 50 प्रतिशत की श्रेणी में, 25 से 50 प्रतिशत श्रेणी में से 20 नग शिरोपरि जलाशयों को 50 से 75 प्रतिशत की श्रेणी में, 50 से 75 प्रतिशत श्रेणी में से 20 नग शिरोपरि जलाशयों को 75 से 99 प्रतिशत की श्रेणी में व 75 से 99 प्रतिशत श्रेणी में से 20 नग शिरोपरि जलाशयों को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा।

पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल के लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। जिसके क्रम में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 349 नग पम्प हाउस के सापेक्ष अनारम्भ अनारम्भ 20 नग पम्प हाउस की प्रगति को 0 से 50 प्रतिशत श्रेणी में व 50 प्रतिशत तक की प्रगति वाले पम्प हाउस में से 20 नग पम्प हाउसों व 30 नग बाउन्ड्रीवाल को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण कर दिया जायेगा।

रेगुलर वाटर सप्लाई के दिये गये लक्ष्य 40 ग्रामों के सापेक्ष 5 ग्रामों की उपलब्धि फर्म द्वारा प्राप्त की गयी है, जिसके क्रम में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत आधारित परियोजनाओं पर विद्युत कार्य पूर्ण ना होने के कारण क्लोरीनेशन युक्त रेगुलर वाटर सप्लाई हेतु डी0जी0 पर निर्भर रहना पड़ रहा है जिससे अनावश्यक डीजल का व्यय हो रहा है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये अवगत कराया गया कि आप द्वारा सोलर व विद्युत अधिष्ठापन कार्य 176 स्थानों पर किया जा चुका है, परन्तु रेगुलर वाटर सप्लाई केवल 94 राजस्व ग्रामों में की जा रही है, जो कि तथ्यों से परे है। जिस पर फर्म द्वारा आश्वासन दिया गया कि अगली बैठक तक 50 अतिरिक्त कार्यस्थलों पर क्लोरीनेशन युक्त रेगुलर वाटर सप्लाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पाइप लाइन व गृह संयोजन (FHTC) की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गयी जिस पर फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि योजनाओं पर पाइप लाइन के गैप क्लोजिंग के कारण वांछित प्रगति नहीं हो पायी है, अगली बैठक से पूर्व दिये गये लक्ष्यों को पूर्ण कर लिया जायेगा। 5000 नग गृह संयोजन (FHTC) लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक 260 की प्रगति हुई है जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अगली बैठक से पूर्व वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण करने व न्यूनतम 5000 नग गृह संयोजन (FHTC) कराये जाने के निर्देश दिये गये।

सोलर व डी0जी0 अधिष्ठापन की धीमी प्रगति के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी जिस पर फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि सोलर एक मूल्यवान सामग्री है जिसकी लगातार चोरी हो रही है इसलिये अधिष्ठापन कार्य वर्तमान में उन्ही स्थानों पर कराया जा रहा है जहाँ पर रेगुलर वाटर सप्लाई की जानी है। वर्तमान में सोलर की स्टोर में आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उक्त के क्रम में निर्देश दिये

कि कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाये व सामग्री रख-रखाव/सुरक्षा हेतु फर्म स्वयं अपने स्तर से आवश्यक प्रबंध करना सुनिश्चित करें।

फर्म द्वारा विगत बैठक से वर्तमान तक एक भी ग्राम में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यधिक नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि फर्म से अगली बैठक से पूर्व 65 प्रतिशत गांवों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया जाये व सूची प्राप्त कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से रेगुलर वाटर सप्लाई व रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को सत्यापित करा लिया जाये व बिछाई गयी समस्त पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्टिंग करके हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

फर्म की पिछली कई बैठकों में कार्यों की प्रगति में वांछित सुधार ना होने के कारण अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को फर्म के टर्मिनेशन पत्र प्रेषित करने हेतु पत्रावली अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, जे०एम०सी० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एस०(जे०वी०)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि०/याँ०), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(2) मेसर्स रिथविक कोया (जे०वी०) (JJM फेज-3):- कोया

M/s Rithwik and Koya (JV)- (Phase-3) - Koya							
S.No.	Item	Target	Achievement				
			Meeting Date	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lower
1	Tube well	210	Date				
			13.11.2024	204	198	198	121
			16.12.2024	205	200	198	128
2	OHT	205		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%
			13.11.2024	20	22	62	64
			16.12.2024	17	18	62	68
3	Pump House	210		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%
			13.11.2024	7	13	18	7
			16.12.2024	7	9	15	14
4	Boundary wall	210		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%
			13.11.2024	12	14	20	6
			16.12.2024	20	13	25	32
5	Pipe Line (Km.)	2104	13.11.2024	1842			
			16.12.2024	1846 (4 Km.)			
			13.11.2024	76573			
6	FHTC	91016	16.12.2024	80354 (3781)			
				Complete	WIP	Not Starts	
7	Solar	191	13.11.2024	106	48	37	
			16.12.2024	112	42	37	

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km.)	FHT C	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-50%	50-100%						
Rithwik-Koya (JV) - Koya	3	5	2	50	10	10	10	10	10	20	20	100% till month december -24	5000	15	15	25	30

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 345 राजस्व ग्रामों के 205 परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में 9 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद के निस्तारण हेतु संस्तर बनाते हुये अतिशीघ्र समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें, जिससे निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जा सके। जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक से वर्तमान बैठक तक 4 स्थलों की भूमि विवाद का निस्तारण कराया जा चुका है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अतिशीघ्र नलकूप निर्माण व अन्य कार्य प्रारम्भ करने एवं वर्तमान तक ड्रिलिंग पूर्ण नलकूपों के कम्प्रेसर, ओपीओ यूनिट व न्यूनतम 50 योजनाओं पर पम्प अधिष्ठापन का कार्य के निर्देश फर्म को दिये गये।

फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि अगली बैठक से पूर्व 10 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा व 0 से 25 प्रतिशत श्रेणी में से 10 नग शिरोपरि जलाशयों को 25 से 50 प्रतिशत की श्रेणी में, 25 से 50 प्रतिशत श्रेणी में से 10 नग शिरोपरि जलाशयों को 50 से 75 प्रतिशत की श्रेणी में, 50 से 75 प्रतिशत श्रेणी में से 10 नग शिरोपरि जलाशयों को 75 से 99 प्रतिशत की श्रेणी में व 75 से 99 प्रतिशत श्रेणी में से 10 नग शिरोपरि जलाशयों को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा।

पम्प हाउस के लक्ष्यों को लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। जिसके क्रम में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक अनारम्भ 41 नग पम्प हाउस में से 20 पम्प हाउसों के कार्य प्रारम्भ करा दिये जायेंगे व 50 प्रतिशत तक की प्रगति वाले पम्प हाउस में से 20 नग पम्प हाउसों व 20 नग वाउन्ड्रीवाल को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण कर दिया जायेगा।

रेगुलर वाटर सप्लाई के दिये गये लक्ष्य 15 ग्रामों के सापेक्ष 5 ग्रामों की उपलब्धि फर्म द्वारा प्राप्त की गयी है, जिससे अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी और निर्देश दिये गये कि अगली बैठक तक न्यूनतम 25 ग्रामों में क्लोरीनेशन युक्त रेगुलर वाटर सप्लाई प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पाइप लाइन व गृह संयोजन (FHTC) की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गयी जिस पर फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि योजनाओं पर पाइप लाइन के गैप क्लोजिंग के कारण वांछित प्रगति नहीं हो पायी है, अगली बैठक से पूर्व दिये गये लक्ष्यों को पूर्ण कर लिया जायेगा। 5000 नग गृह संयोजन (FHTC) लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक 3781 की प्रगति हुई है जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अगली बैठक से पूर्व वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण करने व न्यूनतम 5000 नग गृह संयोजन (FHTC) कराये जाने के निर्देश दिये गये।

सोलर व डीओजीओ अधिष्ठापन की धीमी प्रगति के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी जिस पर फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि अगली बैठक से पूर्व 15 योजनाओं पर सोलर अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

फर्म द्वारा विगत बैठक से वर्तमान तक 12 ग्रामों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि फर्म से अगली बैठक से पूर्व 65 प्रतिशत गोंवों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया जाये व सूची प्राप्त कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से रेगुलर वाटर सप्लाई व रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को सत्यापित करा लिया जाये व विछाई गयी समस्त पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये इस कार्य में किराी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

फर्म की पिछली कई बैठकों में कार्यों की प्रगति में वांछित सुधार ना होने के कारण अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि प्रबन्ध निदेशक उओप्रओ जल निगम (ग्रामीण)/अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को फर्म के विरुद्ध 0.50 प्रतिशत जुर्माना/एलओडीओ अध्यारोपित करने हेतु पत्र प्रेषित करने हेतु पत्रावली अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाये।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथदिक कोया (जेओवीओ) - कोया/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (विओ/यौओ), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

3) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- रिथविक

M/s Rithwik and Koya (JV)- (Phase-3) - Rithwik								
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement				
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lower	
1	Tube well	180						
			13.11.2024	180	178	174	140	
			16.12.2024	180	179	175	155	
2	OHT	174		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	10
			13.11.2024	3	29	42	55	
			16.12.2024	3	25	30	65	
3	Pump House	180		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	10
			13.11.2024	18	10	33	35	
			16.12.2024	11	11	30	33	
4	Boundary wall	180		0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	10
			13.11.2024	3	8	4	6	1
			16.12.2024	1	1	2	12	1
5	Pipe Line (Km.)	1892.4	13.11.2024	1577				
			16.12.2024	1592.33 (15.33 Km.)				
6	FHTC	100163	13.11.2024	65859				
			16.12.2024	70147 (4288 Nos.)				
7	Solar	150		Complete	WIP	Not Started		
			13.11.2024	85	41	24		
			16.12.2024	87	39	24		

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lower in E	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100 %	0-50%	50-100%						
Rithwik-Koya (JV) - Rithwik	-	1	4	20	10	10	10	10	10	18	18	100% till month december-24	6000	15	15	25	18

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 302 राजस्व ग्रामों के 174 परियोजनाओं के सापेक्ष ड्रिलिंग सभी 180 नग नलकूप के ड्रिलिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्तमान तक ड्रिलिंग पूर्ण नलकूपों के कम्प्रेसर, ओपीयू यूनिट व अवशेष 20 नग पम्प अधिष्ठापन का कार्य के निर्देश फर्म को दिये गये।

फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि अगली बैठक से पूर्व 10 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा व 0 से 25 प्रतिशत श्रेणी में से 10 नग शिरोपरि जलाशयों को 25 से 50 प्रतिशत की श्रेणी में, 25 से 50 प्रतिशत श्रेणी में से 10 नग शिरोपरि जलाशयों को 50 से 75 प्रतिशत की श्रेणी में, 50 से 75 प्रतिशत श्रेणी में से 10 नग शिरोपरि जलाशयों को 75 से 99 प्रतिशत की श्रेणी में व 75 से 99 प्रतिशत श्रेणी में से 10 नग शिरोपरि जलाशयों को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा।

पम्प हाउस के लक्ष्यों को लक्ष्यों को प्राप्त ना किये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। जिसके क्रम में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक अनारम्भ 38 नग पम्प हाउस में से 18 पम्प हाउसों के कार्य प्रारम्भ करा दिये जायेंगे व 50 प्रतिशत तक की प्रगति वाले पम्प हाउस में से 18 नग पम्प हाउसों व 18 नग वाउन्ड्रीवाल को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण कर दिया जायेगा।

रेगुलर वाटर सप्लाई के दिये गये लक्ष्य 30 ग्रामों के सापेक्ष उपलब्धि शून्य होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी और निर्देश दिये गये कि अगली बैठक तक न्यूनतम 25 ग्रामों में क्लोरीनेशन युक्त रेगुलर वाटर सप्लाई प्रारम्भ कर दी जाये।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पाइप लाइन व गृह संयोजन (FHTC) की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गयी जिस पर फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि योजनाओं पर पाइप लाइन के गैप क्लोजिंग के कारण वांछित प्रगति नहीं हो पायी है, अगली बैठक से पूर्व दिये गये लक्ष्यों को पूर्ण कर लिया जायेगा। 5000 नग गृह संयोजन (FHTC) लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक 4288 की प्रगति हुई है जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अगली बैठक से पूर्व वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण करने व न्यूनतम 6000 नग गृह संयोजन (FHTC) कराये जाने के निर्देश दिये गये।

सोलर व डी0जी0 अधिष्ठापन की धीमी प्रगति के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी जिसके फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि अगली बैठक से पूर्व 15 योजनाओं पर सोलर अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

फर्म द्वारा विगत बैठक से वर्तमान तक 9 ग्रामों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि फर्म से अगली बैठक से पूर्व 65 प्रतिशत गाँवों में शतप्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया जाये व सूची प्राप्त कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से रेगुलर वाटर सप्लाई व रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को सत्यापित करा लिया जाये व बिछाई गयी समस्त पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

फर्म की पिछली कई बैठकों में कार्यों की प्रगति में वांछित सुधार ना होने के कारण अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को फर्म के विरुद्ध 0.50 प्रतिशत जुर्माना/एल0डी0 अध्यारोपित करने हेतु पत्र प्रेषित करने हेतु पत्रावली अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाये।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स स्थिविक कोया (जे0वी0) - स्थिविक/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(3) मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 TPIA:- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर (TPIA) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 5445 विन्दुओं की निस्तारण आख्या फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसका परीक्षण TPIA द्वारा किया जा रहा है। निर्देश दिये गये कि तीनों फर्मों के कार्यों में वर्तमान बैठक से अगली बैठक तक पायी गयी क्रिटिकल कमियों की आपत्ति व उसका निस्तारण रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(4) मेसर्स आर0वी0एशोसिएट्स (जे0वी0) निष्पौन कोई DPMU:- जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक से वर्तमान बैठक तक 9 स्थलों की भूमि विवाद का निस्तारण कराया जा चुका है व 20 स्थलों पर निस्तारण अवशेष है। डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद का निस्तारण अतिशीघ्र करावें, जिससे कार्यों को अविलम्ब प्रारम्भ कराया जा सके।

(कार्यवाही:- डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(5) इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA:- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA द्वारा इम्प्लीमेन्टेशन फेज के अन्तर्गत आने वाली गतिविधिया सम्पादन करायी जा रही है। अधिशासी अभियन्ता, समस्त इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी ISA, जिला समन्वयक (DPMU) को निर्देश दिये गये कि सम्पन्न की जा रही गतिविधियों को ससमय Ejalshakti एवं jim पोर्टल पर सम्बन्धित गतिविधियों को ससमय अपलोड कराना सुनिश्चित करें। साथ ही दिनांक 19.12.2024 को प्रारम्भ हो रहे सुशासन सप्ताह में अपने से सम्बन्धित समस्त ग्रामों में बैनर, पोस्टर, प्रभातफेरी, आदि समस्त जागरूकता अभियान कराते हुये उक्त कार्यों को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करने करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता मान्य नहीं होगी।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि रेलवे से समन्वय स्थापित करते हुये पाइप लाइन की क्रसिंग हेतु अनापत्ति प्राप्त की जा रही है व समयान्तर्गत रेलवे क्रसिंग का कार्य करा दिया जायेगा। साथ ही अवगत कराया गया कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से समन्वय स्थापित करते हुये कार्यवाही की जा रही है।

विद्युत वितरण मण्डल महाराजगंज को चेतावनी पत्र प्रेषित करने सम्बन्धी पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश
अधिकांश अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि अगली बैठक में पेयजल योजनावार,
प्रगति रिपोर्ट तैयार करते हुये जल जीवन मिशन कार्य की साप्ताहिक समीक्षा बैठक अपने स्तर से किया
शुनचित करे एवं पालिका समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी व मासिक समीक्षा बैठक अधोहस्ताक्षरी द्वारा
जारी करे।

(कार्यवाही:- (कार्यवाही:-अधिकांश अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/ अधिकांश अभियन्ता
विद्युत विभाग महाराजगंज


(अनुमय झा)
अम 050एस0
जिलाधिकारी
महाराजगंज।

कार्यालय जिलाधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: 2267 / वि.वि.स-40 / 186 दिनांक: 20.12.2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज।
5. अधिकांश अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
6. अधिकांश अभियन्ता (वि0/यों0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थितिक कोया (जे.वी.), कोया-महाराजगंज।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थितिक कोया (जे.वी.), स्थितिक-महाराजगंज।
10. मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज।
11. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।

जिलाधिकारी
महाराजगंज।